



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - करजानी

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 542/25 दायर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.सं..	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	दियाना का उर्वा	178	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना दखौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>दखौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर वहासीलदार</p> <p>पटवारी करजानी</p> <p>हस्ताक्षर करजानी</p> <p>हस्ताक्षर करजानी</p> <p>हस्ताक्षर करजानी</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम दियाना का रक प.ह. करजानी खतासं. 178 में वर्तमान प्रविष्टि बखौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जहानपुर जिला-चितौड़गढ</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन